

उच्च पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन नियतन के लिए विकल्प
OPTION FOR FIXATION ON PAY ON PROMOTION TO HIGHER POST

..... के पद जिसका वेतनमान ₹
..... है पर पदोन्नत हो जाने के उपरांत मैं निम्नानुसार अपना
वेतन करने का अनुरोध करता/करती हूँ:-

Consequent upon my promotion to the post of
carrying pay scale of ₹
I request for my pay fixation as below :

- 1 मेरा वेतन, एफ.आर.22 सी.(एफ.आर.22 1(ए.) 1) के आधार पर सीधे ही निम्न पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि लगाने पर समीक्षा किये बिना ही उच्च पद में आरंभिक रूप से नियत कर दिया जाए।
My pay Initially be fixed in the higher post on the basis of F.R.22-C(F.R.221(a)1) straightway without any further review on accrual of increment in the pay scale of the lower post, or
- 2 पदोन्नति के उपरांत मेरा वेतन, एफ.आर.22 सी.(एफ.आर.22 1(ए.) 2) के तहत किये गये प्रावधानों के अनुसार आरंभिक रूप से नियत कर दिया जाए जिसे एफ.आर.22 सी. के प्रावधानों के अनुरूप निम्न पद के वेतनमान में आगामी वेतन वृद्धि लगने की तिथि से पुनः नियत किया जाता है।
My pay on promotion may be fixed initially in the manner as provided under F.R..22 1(a) 2 which may be refixed on the basis of provision of F.R.22-C on the date of accrual of next increment in the scale of pay of the lower post.

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक

नाम एवं पदनाम

Date :

Name & Designation

नोट Note :

- (i) उपरोक्त (1) अथवा (2) में से किसी एक को जो लागू नहीं है काट दें। और जो काटा गया है उसके आगे अपने हस्ताक्षर कर दें।
Delete Either (1) or (2) whichever is not applicable and put your signatures against deletion.
- (ii) उपरोक्त विकल्प 2 उस स्थिति के लिए नहीं है जबकि पदोन्नति तदर्थ आधार पर हुई हो अथवा एक्स-कैडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार नियमित हुई हो।
Option 2 above is not available in the case of promotion to a post on adhoc basis or appointment on deputation to Ex-Cader posts.
- (iii) फिर भी उस स्थिति में जब तदर्थ पदोन्नति के तत्काल बाद बिना किसी ब्रेक के नियमित नियुक्ति हो जाए तो उपर्युक्त विकल्प 2 आरंभिक नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है, यह प्रक्रिया ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर-अन्दर पूरी हो जाए।
However, in case where in Adhoc promotion is followed by regular appointment without break option at (2) above shall be admissible as from the date of initial Appointment/Promotion, to be exercised within one month from the date of such regular appointment.